

तारीख
हुक्म

जिस शीघ्र मिलान किया गया।
जायव तहसीलदार जसोल को मौका
शेकड की जांच हेतु नदरी जारी है।
पत्रावली जाते मौका रिपोर्ट के
इन्तजार हेतु दिनांक 5/5/22 को
पेश है।

**उप वरिष्ठ अधिकारी
तहसील (जायव)**

5/5/22 पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित
विप्राधीन अनुपस्थित। उप तहसीलदार जायव
से नदरालन रिपोर्ट पेश हुई जो शीघ्र
मिलान किया गया। प्राची व विप्राधीन
संख्या 1 का प ने अराजी कसब ग्राम
अनुसार तस्वीर दुकली हेतु संलग्न है।
क्षेत्रा सुदल को आपसी समीक्षा
के निरंतर हेतु पत्रावली दिनांक
14/5/22 को लोक अदालत में पेश है।
दिनांक 12/5/22 को श्री भांडसलीग
में पेश है।

**उप वरिष्ठ अधिकारी
(SDO) जायव**

तहसील दुकली के
श्री
26/5/22
14/5/22
TDR-PCR

14-5-22 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
प्राची के वकील उप। तहसीलदार प्रचण्ड
उप। अफ पक्षकारों के द्वारा सजुक्त
रूप के शपथ-पत्र दिनांक 12-05-2022
को प्रस्तुत कर लोक अदालत की मजिस्ट्रेट
से जेरियर कोर तस्वीर दुकली कराने
का निवेदन किया गया।

(महेश कर्मा)
तहसीलदार
(SDO) जायव

~~तहसीलदार, पंचपदरा को सी तरमीन
दुसली करने पर कोई आपत्ति
नहीं है।~~

~~जमी के जमीना-पत्र के उमर
परकारान की सहमति से स्वीकार
कर मोगा जागसा के रक.नं. 127 से~~

~~विभाजित नये रक.नं. 1109/127 रकबा~~

~~20-08 बीला, रक.नं. 1108/127 रकबा~~

~~20-09 बीला तथा रक.नं. 496 से विभाजित~~

~~रक.नं. 1368/496 रकबा 2 बीला, रक.नं.~~

~~1367/496 रकबा 2-00 बीला विभाजित~~

~~आवाजी की तरमीन उमर पर की
सहमति से जस्ताजित नकशा~~

~~परिच्छिष्ट "क" के अनुसार करने के~~

~~आदेश तहसीलदार, पंचपदरा को~~

~~प्रदान किये जाते हैं। तदनुसार~~

~~राजसूख रेकॉर्ड में तरमीन दुसली~~

~~करने पर जमीनी फिकल स्थानाल होकर~~

~~नाकर से काम हो।~~

~~निर्णय आज दि. 14-05-2022 को~~

~~राजसूख लोक अदालत में सरेआम~~

~~दुगला गंगा~~

Handwritten signature

(मय मय)
जज
200, पंचपदरा

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन

..... प्राधिकरण / समिति द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी

हरजीराम

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

मेगाराम कौरा

..... न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या:
उपस्थिति :- श्री अचलराम प्रोवी यकील वादी, तखीलदार, 4-44521

न्यायिक अधिकारी / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम:

- सदस्यों का नाम : (1)
- (2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है: मौजा जागरा के ख.नं. 127 से विभाजित न रहे ख.नं. 1109/127 तक का 20.08 बीघा, ख.नं. 1108/127 तक का 20.09 बीघा तथा ख.नं. 496 से विभाजित न रहे ख.नं. 1368/496 तक का 2 बीघा, ख.नं. 1367 तक का 2 बीघा वादग्रस्त

जाग्राजी की तस्वीर उभल पक्ष के समक्ष से उखाड़ित न करे।
"ब" के अग्रपक्ष करने के द्वारा तखीलदार प्रत्यर्थी को उखाड़ित न करे।
पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फाँस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा सदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

[Signature]
याची/वादी/परिवादी

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

[Signature]
14/5/22
TDR: PCH

[Signature]
न्यायिक अधिकारी
राजी लोक अदालत

[Signature]
सदस्य

सदस्य

तारीख:

प्राधिकरण / समिति की मुद्रा

[Signature]
राजी लोक अदालत
(S.O.) राजी